संख्या:149/2026/645पू0वि0नि0/35-1-2026/35-1099/36/2024

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 16 सितम्बर, 2026

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वान्चल) निधि (राज्यांश) अन्तर्गत स्वीकृत कार्य को पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वान्चल) निधि (राज्यांश) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में निर्गत शासनादेश संख्या-40/2025/592पू0वि0नि0/35-1-2025/35-1099/36/2024, दिनांक 28.03.2025 द्वारा **जनपद गोरखपुर में वी पार्क (विन्ध्यवासिनी पार्क) मोहद्दीपुर का विकास कार्य** की रू. 697.72 लाख (जी0एस0टी सहित) की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 348.61 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। तदोपरान्त शासनादेश संख्या-118/2026/372पू0वि0नि0/35-1-2026-1793822 दिनांक 17 जून, 2026 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू. 341.17626 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। इस प्रकार अब तक कुल रू. 689.78626 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई है। आपके पत्र संख्या-497/डी0एस0टी0ओ0/संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वान्चल)/2026-27 दिनांक 29.7.2026 द्वारा उक्त् स्वीकृत कार्य का पुनरीक्षित आगणन आवश्यक कार्यवाही हेतु सन्दर्भित किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गोरखपुर में उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 28.03.2025 द्वारा स्वीकृत कार्य की अनुमोदित लागत रू. 697.72 लाख को सम्यक परीक्षणोपरान्त रू. 912.75 लाख (रूपये नौ करोड़ बारह लाख पचहत्तर हजार मात्र) पर निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लागत लाख रू. में)

कार्य का नाम	**अनुमोदित लागत** (जी0एस0टी0 सहित)	**पुनरीक्षित लागत** (जी0एस0टी0 सहित)	**पूर्व में अवमुक्त धनराशि**
जनपद गोरखपुर में वी पार्क (विन्ध्यवासिनी पार्क) मोहद्दीपुर का विकास कार्य (कार्यमदें-1. जागिंग हेतु जागिंग ट्रेक, 2. जर्जर मार्ग पर सी०सी० रोड, 3. टहलने हेतु पाथवे का निर्माण, 4. कियोस्क, 5. फिश पाण्ड, 6. फाउण्टेन, 7. गार्ड रूम, 8. प्लान्ट सेलिंग काउण्टर, 9. हाईमास्ट लाईट की स्थापना, 10. मुख्य द्वार का निर्माण, 11.पार्क के विकास के लिए विविध कार्य, 12. वी0-पार्क में के-लाइन वर्क, 13.वी-पार्क में वॉटर-प्रूफ टेन्साइल फैब्रिक (कैनोपी) और हेरिटेज बेंच का काम)	697.72	912.75	689.78626

1. सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2025 एवं 17 जून, 2026 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्य हेतु उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2025 एवं 17 जून, 2026 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि को अनुवर्ती किश्त के रूप में आंकलित/समायोजित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. प्रायोजना की तकनीकी स्वीकृति में प्रावधानित कार्यमदो की मात्राओं के सापेक्ष पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित मात्राओं में विचलन (variation) प्रस्तावित किया है। अतः कार्यदायी संस्था के सक्षम स्तर पर नियमानुसार / आवश्यकतानुसार प्रयोजना की revised technical sanction निर्गत की जायेगी
4. प्रायोजना कार्यों पर हुए व्यय एवं उसके सापेक्ष प्राप्त भौतिक प्रगति का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
5. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनांक 22 मार्च,2021 का यथा आवश्यकतानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। तथा प्रायोजना की सक्षम स्तर से यथा आवश्यक तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य किया जाये।
6. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. प्रायोजना में 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट व स्टील इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जायेगा।
8. जिलाधिकारी द्वारा पुनरीक्षित/स्वीकृत आगणन के अनुसार कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ-साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी।
9. सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2025 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या- E-5-74-X-2026-27, दिनांक 15.09.2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या:149/2026/645पू0वि0नि0(1)/35-1-2026/35-1099/36/2024 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/उद्यान विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, गोरखपुर।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक,स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन,नियोजन विभाग।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोरखपुर।
14- अधिशासी अभियंता,ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, गोरखपुर।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।